आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
30.7.15	**प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल** **दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 07/15–16** **सीमा कुमारी वनाम् नीरज कुमार** **आदेश** यह दाखिल खारिज अपीलवाद सीमा कुमारी पति रणधीर कुमार, साकिन+पोस्ट – कामता, थाना–परासी, जिला–अरवल द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 1548/14–15 में दिनांक 06.01.2015 को पारित अंचल अधिकारी, अरवल के आदेश के विरूद्व दायर किया गया। वाद की प्रविष्टी की गई। विपक्षी की उपस्थिति हेतु नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षी उपस्थित हुए एवं प्रत्युतर दाखिल करने की मॉग की गई। विपक्षी के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण पैरवी हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया। इसके बाद विपक्षी अनुपस्थित रहे जिसे प्रत्युतर दाखिल करने से वंचित करते हुए वाद की एकपक्षीय सुनवाई की गई। **वादिनी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–** (1) हकीयत वाद संख्या 256/13 में लगे तफसिया (सन्धि) की कॉपी जो व्यवहार न्यायालय जहानाबाद द्वारा स्वीकृत की गई थी जिसपर दोंनों पक्षो का हस्ताक्षर है के बाबजूद दिनांक 06.01.2015 को दाखिल खारिज हेतु आवेदन को अंचल अधिकारी, अरवल द्वारा अस्वीकृत की गई है। (2) विवादित भूमि पर वादिनी का कब्जा है एवं प्रत्येक वर्ष की भॉति इस साल भी खेती का कार्य कर रहे है। (3) स्थानीय कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदन में वर्णन की गई है कि हकियत वाद संख्या 256/13 में नीरज कुमार द्वारा दी गई वाजदावा के उपरान्त डिमाण्ड रद्द करते हुए दाखिल खारिज की करवाई की जा सकती है जो अंचल अधिकारी, अरवल द्वारा अवर न्यायाधीश प्रथम के आदेश के आलोक में डिमाण्ड को रद्द करते हुए वादीनी के नाम से दाखिल खारिज स्वीकृत करना चाहिए था लेकिन ऐसा न कर आवेदन को अस्वीकृत की गई है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, अरवल द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 1548/14–15 में दिनांक 06.01.2015 को पारित	

आदेश को खारिज करने का अनुरोध वादीनी के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

वादीनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं वाद पोषित कागजातों का अवलोकन किया। वादिनी ने दाखिल खारिज वाद संख्या 1548/14–15 में दिनांक 06.01.2015 को पारित अंचल अधिकारी, अरवल के आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। दाखिल खारिज वाद संख्या 1548/14–15 का अवलोकन किया। राजस्व कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि विवादित भूमि का जमाबंदी नीरज कुमार उतरवादी पिता स्व० सुदर्शन सिंह के नाम कायम है। नीरज कुमार ने आवेदिका सीमा कुमारी पति रणधीर कुमार से भूमि क्रय किया है जबकि आवेदिका ने पूर्व डिमाण्डधारी शांति देवी पति रामायण चौधरी से भूमि क्रय किया है परन्तु उनके द्वारा दाखिल खारिज नहीं कराया गया और सीमा कुमारी से क्रेता नीरज कुमार ने वाद संख्या 965/13–14 के द्वारा भूमि का दाखिल खारिज कराया गया। हकियत वाद संख्या 256/2013 सीमा कुमारी वनाम् नीरज कुमार में उभय पक्षों के बीच संधि के आधार पर आदेश पारित किया गया। उक्त संधि के अनुसार विवादित भूमि खाता नं० 144/20 प्लॉट नं० 94/92 रकवा 1 कट्ठा पर प्रतिवादी नीरज कुमार का कोई अधिकार वो कब्जा नहीं होगा बल्कि वादी सीमा कुमारी का ही पुनः अधिकार वो कब्जा होगा।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी अरवल द्वारा वाद संख्या 1548/14–15 में पारित आदेश को खारिज किया जाता है और वाद को इस निदेश के साथ अंचल अधिकारी अरवल को रिमाण्ड किया जाता है कि विवादित भूमि पर यदि आवेदिका का कब्जा है तो जमाबंदी पंजी से उतरवादी नीरज कुमार का नाम हटाकर आवेदिका का नाम दर्ज करें।

लेखापित एवं संशोधित

30.07

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

30.07

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।